

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ
संख्या : लाजि०-एम०टी०-10/2026 दिनांक: फरवरी, 10, 2026

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी चालक के चयन वर्ष-2026 (दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 30.06.2027) के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जानी है।

2- उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम-5 (क) आरक्षी चालक- में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आरक्षी चालक के शत-प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी०ए०सी० से भरे जायेंगे जो निम्न पात्रता शर्तें पूर्ण करते हों :-

- (1) चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों।
- (2) अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चश्मे या सहायता के आखों की दृष्टि 6/6 हो।
- (3) पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हो।
- (4) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना अनिवार्य है।
- (5) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हो।
- (6) विगत पांच वर्षों की अवधि में:-
(एक) सत्यनिष्ठा रोकी न गयी हो, या
(दो) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या
(तीन) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।
- (7) विगत तीन वर्षों की अवधि में:-
(एक) कोई लघु दण्ड न मिला हो, या
(दो) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों, या
(तीन) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हों।

3- नामांकन भेजते समय निम्नांकित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय:-

1. नामांकित आरक्षी के स्वास्थ्य परीक्षण (मुख्यतः दृष्टि परीक्षा) नामांकन भेजने के पूर्व ही करा लिया जाय तथा दृष्टि परीक्षा का परिणाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय अर्थात् दृष्टि परीक्षा के परिणाम ठीक है, आदि अंकित न करके चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र में दृष्टि परीक्षा का परिणाम अंको में अंकित किया जाय। यदि दृष्टि परीक्षा में आरक्षी कलर ब्लाइन्ड पाया जाता है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। (नामांकन के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न किया जाय)

2. वाहन चालन कार्य के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
3. इस निर्देश का जनपदों/पीएसी वाहिनी तथा इकाईयों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि किसी भी इच्छुक/पात्र आरक्षी का नामांकन छूटने न पाये।
4. चयन वर्ष का कट आफ डेट 01 जुलाई हैं।
5. आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के अतिरिक्त आरक्षी आरमोरर एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस उक्त चयन में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
6. नामांकन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रारूप में अंकित सभी सूचनाएं सही अंकित की गयी है एवं अंकित की गयी सूचना में कोई त्रुटि नहीं हैं। विशेषकर जन्मतिथि एवं भर्ती तिथि का मिलान इनके अभिलेखों से अवश्य करा लिया जाय।
7. पूर्व चयन वर्ष में प्राप्त नामांकन के परीक्षण से पाया गया था कि अधिकांश वाहिनियों द्वारा ऐसे कर्मियों के नामांकन भेजे गये थे, जिनके पास मात्र हल्के वाहन चलाने के लाइसेन्स थे, जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि नामित किये जाने वाले कर्मियों के पास हैवी एवं हल्के दोनों वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। कुछ वाहिनियों द्वारा ऐसे कर्मियों के नामांकन उपलब्ध करा दिये गये थे जिनके हैवी लाइसेन्स की वैधता समाप्त हो गयी थी। नामांकन भेजने के पूर्व जनपद/वाहिनी स्तर पर नामित किये जाने वाले कर्मियों के आयु, सेवा, चिकित्सा, दण्ड एवं लाइसेंस की वैधता का परीक्षण कराकर पात्र कर्मियों के नामांकन ही मुख्यालय पर भेजे जायें।
8. प्रत्येक कर्मियों का नामांकन अलग-अलग पृष्ठ में उपलब्ध कराया जाय, जिसमें सम्बन्धित सहायक, प्रधान लिपिक, एवं राजपत्रित अधिकारीगण के हस्ताक्षर मुहर सहित अंकित किये जाए।
9. निर्धारित प्रारूप एवं निर्देश इस कार्यालय के बेवसाइट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular Click here-Go to circular Archive पर प्रकाशित किया गया है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 का नामांकन A3 पेज पर LANDSCAPE में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में TIMES NEW ROMAN में संलग्न प्रारूप में तैयार कराकर आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं भारी तथा हल्के वाहनो का ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित पठनीय छायाप्रति सहित सम्बन्धित सहायक के माध्यम से दिनांक 30.04.2026 तक लाजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि के उपरान्त नामांकन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान दिया जाय।
संलग्नक:प्रारूप

(राम कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उत्तराखण्ड (अनुसूचित जाति) अधिनियम, 1996 / धारा 14 / भाग (अनुसूचित जाति) अधिनियम, 1996

[illegible]

कॉलम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा। यदि किसी कॉलम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है, तो उस कॉलम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाये। सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Times New Roman में ही तैयार की जाये तथा कार्मिक का नाम हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार ही अंकित किया जाय।

लाइन में एक ही अक्षरों की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।

क ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।

अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6-बोर्ड प्रपत्र पर अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जाये। ऐसा न होने पर बोर्ड स्तर पर बोर्ड प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।

संलग्नक की चेक लिस्ट:-

नोट:-निर्माकित प्रपत्रों की पठनीय छायाप्रतियाँ उपलब्ध करायी जाये।

1-अभियोग पंजीकृत होने की दशा में कर्म के विरुद्ध आरोप पत्र मा0न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो एफ0आई0आर0 की प्रति व आरोप पत्र की प्रति(आरोप पत्र में अंकित अभियुक्तगण/कर्म के नाम/पी0एन0ओ0नम्बर/तैनाती सहित) मु0ओ0सं0, धारा, थाना व जनपद, आरोप पत्र संख्या व दिनांक तथा वाद की स्थिति का उल्लेख कालम संख्या-38, 39 व 40 में किया जाय।

2-विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र निर्गत करने की तिथि सहित आरोप पत्र की प्रति।

3-दण्डादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रति, यदि कोई हो।

4-बर्खास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्कम में जनपद स्तर पर पारित आदेशों की प्रति।

5-कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन/दण्डादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पठनीय छायाप्रति।

6-विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्म को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख किया जाये। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद कर्म को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख न किया जाये।

7-विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड प्रपत्र में अंकित किया जाये। यदि चरित्र पत्रिका/बोर्ड प्रपत्र उ0ओ0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ मेजने के उपरान्त कार्मिक को यदि कोई दण्ड प्रदान अथवा विलोपित/निरस्त किया जाता है तथा यदि कार्मिक के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उ0ओ0 लखनऊ के साथ ही इस बोर्ड को भी सम्बन्धित जनपद/इकाई के द्वारा ईमेल/फैक्स के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

8-प्रतिकूल मन्तव्य की दशा में सेवा अभिलेख में अंकित श्रेणी यथा-असंतोषजनक/खराब/प्रतिकूल स्पष्ट रूप से कालम संख्या-33 व 34 में किया जाय।

9-यदि सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य के विरुद्ध प्रेषित प्रणालेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी के द्वारा निश्चित समयावधि में नहीं किया जाता है तो ऐसा गोपनीय वार्षिक मन्तव्य प्रतिकूल नहीं माना जायेगा।

10-यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं है बल्कि प्रचारित जांच के बलते प्रविष्टि आस्थिति (DEFER) की गयी है तो ऐसे कार्मिक को सत्यनिष्ठा प्रमाणित मानी जायेगी, व इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति की संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी के द्वारा लिये गये निर्णय के अंगीन होगी।

11-यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय चलन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

चरित्र पत्रिका लिपिक के हस्ताक्षर
नाम,पद, मुहर

प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर
नाम,पद, मुहर

क्षेत्राधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर
नाम,पद, मुहर

नियुक्ति प्राधिकारी
नाम,पद, मुहर